न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

अपील सं0 04/24 दायरा दिनांक 24.05.2024

इमरती पुत्री अमरलाल पत्नि ज्ञानी जाति सहरिया निवासी शुभघरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां

अपीलान्ट

बनाम

1–मथुरा पुत्र अमरलाल जाति सहरिया निवासी शुभघरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां

2–जगदीश पुत्र जगनी जाति सहरिया निवासी शुभघरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां

3–बतासी पुत्री जगनी – फोत

3/1–संजना पत्नि राहुल जाति सहरिया निवासी शुभघरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां

3/2–नितिन पुत्र नवला जाति सहरिया निवासी शुभघरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां

3/3–अर्जुन पुत्र नवला जाति सहरिया निवासी शुभघरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां

4–ग्राम पंचायत शुभघरा जरिये सचिव ग्राम पंचायत शुभघरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां

5–स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां

रेस्पो0

अपील विरूद्व नामान्तरकरण कमांक 203 दिनांक 20.02.2001 ग्राम शुभघरा तहसील शाहाबाद अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 13.10.2025

ब हाजिरी
अपीलान्ट की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
रेस्पो0 की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम शुभघरा में अपीलान्ट के पिता अमरलाल पुत्र सांवलिया जाति सहरिया निवासी शुभघरा के खातेदारी की ख0नं0 293 की 1.13 बीघा व ख0नं0 305 की 19.10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 21.03 बीघा कृषि भूमि संवत 2041 से 44 के अनुसार दर्ज खातेदारी थी। अपीलान्ट के पिता अमरलाल पुत्र सांवलिया का स्वर्गवास दिनांक 17.06.1997 को हो चुका है। अपीलान्ट मृतक अमरलाल पुत्र सांवलिया की एकमात्र पुत्री होकर एकमात्र वारिस है जिसके नाम विरासतन नामान्तरकरण रेस्पो0 कम 4 द्वारा तस्दीक किया जाना चाहिये था। ग्राम शुभघरा में अमरलाल पुत्र प्यारे जाति सहरिया नाम का एक अन्य व्यक्ति था जिसका विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं था उक्त खाते की भूमि ख0नं0 222, 355, 356, 358 कुल किता 4 कुल रकबा 19.1 बीघा सम्वत 2041 से 44 के अनुसार भिन्न खाते में दर्ज किये थे। अमरलाल पुत्र प्यारे का स्वर्गवास भी अमरलाल पुत्र सांवलिया की मृत्यु से भिन्न समय में हुआ। अमरलाल पुत्र प्यारे के दो पुत्र कमशः अमरलाल रेस्पो0 कम 1 जगनी फोत जिसके वारिसान रेस्पो. कम 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:10:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 3/3 हैं व एक पुत्री बतासी व उसकी पत्नि अमरो थी जो फौत है। उक्त रेस्पो0 1 लगायत 3/3 का अपीलान्ट से, अपीलान्ट के पिता अमरलाल पुत्र सांवलिया की विरासत से कोई संबंध नहीं है, उक्त लोग अमरलाल पुत्र प्यारे के वारिस हैं जिसकी विरासत भी उक्त रेस्पो0 को प्राप्त हुई है लेकिन अपीलान्ट के पिता अमरलाल पुत्र सांवलिया की भूमि को हडपने के लिये राजस्वकर्मियों से सांठगांठ कर फर्जी वारिस बनकर मथुरा वगैरहा ने अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जो सर्वथा विधि विरूद्व है। उक्त फर्जीवाडे के विरूद्व अपीलान्ट ने फौजदारी प्रकरण भी दर्ज करवाया है जो जैर अनुसंधान है। अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलान्ट के ज्ञान में दिनांक 14.07.2023 को केसीसी हेतु नकल लेने पर आया, जिसकी अपील अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय में अपील संख्या /2023 दिनांक 18.07.2023 को पेश की। अपील जैरकार रहते जगनी व अमरो के फोत होने व ख0नं0 293 के स्थान पर 203 टाईपिंग मिस्टेक व तथ्य की भूल के कारण गलत दर्ज होने की जानकारी होने पर अपील डिफेक्टिव होने से नई अपील पेश करने की अनुज्ञा के साथ अपील माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05. 2024 से विड्रो की जाकर माननीय न्यायालय की अनुज्ञा यह अपील पेश है। अपील पेष करने में तथ्य की भूल के कारण डिफेक्टिव अपील न्यायालय में जैरकार रहने का समय सद्भविक होकर अपील पेश करने में हुआ उक्त बिलम्व समनीय है व अपील माननीय न्यायालय की अनुज्ञा से पेश है। तिथी जानकारी 14.07.2023 से अपील अवधि मध्य पेश है। अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 20.02.2001 ग्राम शुभघरा तहसील शाहाबाद को निरस्त फरमाया जाकर मृतक अमरलाल पुत्र सांवलिया की एकमात्र वारिस अपीलान्ट के नाम इंतकाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

2. अपील दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 रेस्पोडेण्ट क्रम 1, 2, 3/1, 3/2 तथा 3/3 की ओर से जरिये अधिवक्ता जबाव पेश किया गया कि अपील की मद नम्बर 1 जिस तरह लिखी गई है अस्वीकार है। ग्राम शुभघरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 293 की 1.13 बीघा व खसरा नम्बर 305 रकबा 19.10 बीघा स्थित कुल रकबा 21.03 बीघा कृषि भूमि सम्वत 2041–44 जमाबंदी अनुसार अमरलाल पुत्र सांवलिया के खातेदारी की होना स्वीकार है परन्तु यह अस्वीकार है कि अपीलान्ट दर्ज खातेदार अमरलाल पुत्र सांवलिया की पुत्री हो अथवा दर्ज खातेदार अमरलाल पुत्र सांवलिया अपीलाण्ट के पिता हों। अपीलाण्ट का मृतक अमरलाल पुत्र सांवलिया की पुत्री होकर एकमात्र वारिस होना अस्वीकार है। अमरलाल पुत्र प्यारेलाल सहरिया रेस्पो0 क्रम 1 के पिता एवं रेस्पो0 क्रम 2 व 3 के दादाजी थे, जिनके खाते की आराजी खसरा संख्या 222, 355, 356, 358 किता 4 कुल 19.17 बीघा ग्राम शुभघरा में स्थित रही है, जो अमरलाल पुत्र प्यारेलाल की मृत्यु के बाद रेस्पो0 के नाम दर्ज हुई है। अमरलाल पुत्र प्यारे के दो पुत्र क्रमशः मथरा रेस्पा0. क्रम 1, जगनी तथा पत्नि अमरो होना स्वीकार है। यह भी स्वीकार है कि जगनी तथा अमरो फोत हो चुके हैं तथा मृतक जगनी के वारिसान रेस्पो0 क्रम 2 व 3/1 लगायत 3/3 हैं। अपीलान्ट का अमरलाल पुत्र सांवलिया से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि अपीलान्ट का भी खातेदार अमरलाल पुत्र सांवलिया से कोई सम्बन्ध नहीं है, वास्तव में अपीलाण्ट के पिता का नाम प्यारे पुत्र कल्लू है। अपीलान्ट के पिता प्यारे तथा प्यारे के भाई बदरी के नाम ग्राम शुभघरा तहसील शाहावाद में आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 2.10 बीघा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:10:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 278 रकबा 1.10 बीघा तथा खसरा नम्बर 279 रकबा 1.10 बीघा किता 3 कुल 5.10 बीघा सेटलमेन्ट जमाबंदी में दर्ज रही है और यही आराजी बदरी तथा प्यारे की मृत्यु के बाद बदरी के स्थान पर जगराम शिवलाल किशना पुत्र बद्री बसन्ती पुत्री व नारानी पत्नि बद्री के नाम हिस्सा 1/2 से तथा अपीलान्ट इमरती पुत्री प्यारे के नाम हिस्सा 1/2 से दर्ज हुई है, जो बर्तमान जमाबंदी में दर्ज है जिसका विभाजन हो चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट इमरती के पिता का नाम प्यारे वल्द कल्लू है, जिसका अमरलाल पुत्र सांवलिया से कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है और ना ही अपील प्रस्तुत करने का अपीलाण्ट को कोई लोकस स्टेण्डाई ही प्राप्त है। अपीलाण्ट जो प्यारे वल्द कल्लू की बेटी है, खातेदार अमरलाल पुत्र सांवलिया की फर्जी पुत्री वारिस बनकर अमरलाल पुत्र सांवलिया के खाते की भूमि को हड़पना चाहती है, इसी ध्येय से अपीलाण्ट ने उक्त अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। जहां तक अमरलाल पुत्र सांवलिया के खाते की भूमि जो प्रश्नगत नामान्तरण के जरिये रेस्पो0 के नाम दर्ज की गई है, गलत है, जिससे अपीलाण्ट का कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है और उक्त आराजी को रेस्पो0 ने अपने नाम दर्ज कराने बावत कभी कोई आवेदन नहीं किया। इस अपील के पूर्व इसी नामान्तरण की अन्य अपील संख्या 03/23 श्रीमान न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई और उसके नोटिस/सम्मन रेस्पो0 को प्राप्त हुये तब रेस्पो0 को ज्ञात हुआ कि अमरलाल पुत्र सांवलिया की आराजी भी संभवतया खातेदारान के नाम की समानता के कारण रेस्पो0 को बिना बताये और रेस्पो0 से पूछताछ किये बिना रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दी गई है। रेस्पो0 ने कोई फर्जीवाडा नहीं किया है और रेस्पो0 का कभी भी ये ध्येय नहीं रहा कि अमरलाल पुत्र सांवलिया की आराजी उनके नाम दर्ज की जावे। अपील की मद नम्बर 2 व 3 जिस तरह लिखी गई है, अस्वीकार है। प्रश्नगत नामान्तरण का ज्ञान अपीलान्ट ने दिनांक 14.07.2023 को केसीसी हेतु नकले लेने पर होना बताया है, जो परिस्थितिवश अस्वीकार है। अपीलाण्ट ग्राम शुभघरा में ही निवासरत है, जिसने प्रश्नगत नामान्तरण तस्दीक होने की तिथी दिनांक 20.02.2001 से 18.07.2023 तक अर्थात 22 साल तक कोई कार्यवाही नहीं की, जो संभव ही नहीं है। अपीलाण्ट का यह कथन अस्वीकार है कि अपील संख्या 03/23 के जैरकार रहते जगनी व अमरो फोत हुये हों, बल्कि जगनी की मृत्यु दिनांक 11/08/2012 को तथा अमरो की मृत्यु दिनांक 09/03/2003 को ही हो चुकी थी और अपील संख्या 03/23 अपीलाण्ट ने मृतकों के खिलाफ विधि विरूद्व पेश की थी, जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने की आशंका से रेस्पो0 के जबाव पेश कर दिये जाने के बाद अपीलाण्ट द्वारा खारिज करा कर यह नई अपील पेश की गई है, जो अपील अन्दर मियाद नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने योग्य है। अपील की मद नम्बर 4 कानूनी है। अपील की मद नम्बर 5 अस्वीकार है। जबाव की मद नम्बर 2 के जबाव अनुसार अपील मियाद बाहर होने से तथा अपीलान्ट, प्यारे वल्द कल्लू की पुत्री होकर अमरलाल पुत्र सांवलिया की पुत्री नहीं होने से अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार तथा लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट, खातेदार अमरलाल पुत्र सांवलिया की पुत्री नहीं होकर प्यारे वल्द कल्लू की पुत्री होने से प्रार्थना अपीलान्ट अस्वीकार योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट विधि विरूद्व फर्जी तथा सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:10:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

3. अपीलान्ट तथा रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने अपील तथा जबाव के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4. अपीलान्ट इमरती का कथन है कि वह खातेदार अमरलाल पुत्र सांवलिया की पुत्री है, इस कारण खातेदार अमरलाल पुत्र सांवलिया की विरासत अपीलान्ट के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण के जरिये अमरलाल पुत्र सांवलिया की विरासत अमरलाल पुत्र प्यारे के वारिसान अर्थात रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दी है, इस कारण प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है। इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि अपीलान्ट खातेदार अमरलाल पुत्र सांवलिया की पुत्री नहीं है, ना ही अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध है, वास्तव में अपीलान्ट प्यारे पुत्र कल्लू की बेटी है, जिसके नाम प्यारे पुत्र कल्लू की विरासत दर्ज हुई है, अपने इस कथन के समर्थन में रेस्पो0 ने नकल ज़मांबदी भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) ग्राम शुभघरा खाता संख्या 48 पेश की है, जिसमें आराजी ख0नं0 260 रकबा 2.10 बीघा, ख0नं0 278 रकबा 1.10 बीघा, ख0नं0 279 रकबा 1.10 बीघा किता 3 कुल 5.10 बीघा भूमि खातेदार बदरी प्यारे पिसरान कल्लू कोम सहर सा0 देह के नाम दर्ज रही है और इसी आराजी की प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 49 के अनुसार प्यारे के स्थान पर हिस्सा 1/2 अपीलान्ट इमरती के नाम दर्ज है।

5. अपील की सफलता के लिये आवश्यक है कि अपीलान्ट यह सिद्व करे कि वह खातेदार अमरलाल पुत्र सांवलिया की पुत्री है और विवादित भूमि उसकी पैत्रक है। अपीलान्ट ने स्वयं को खातेदार अमरलाल पुत्र सांवलिया की पुत्री होना बतलाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण को चुनौती दी है, लेकिन अपीलान्ट ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे प्रमाणित हो कि अपीलान्ट खातेदार अमरलाल पुत्र सांवलिया की पुत्री है, इसके विरूद्व रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य नकल जमाबंदी भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) खाता संख्या 48 तथा नकल जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 49 ग्राम शुभघरा तहसील शाहाबाद से प्रमाणित होता है कि अपीलांट इमरती, प्यारे पुत्र कल्लू की बेटी है, जिसका कोई दस्तावेजी खण्डन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है।

6. इस प्रकार अपीलान्ट इमरती स्वयं को खातेदार अमरलाल पुत्र सांवलिया की पुत्री साबित करने में पूरी तरह विफल रही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.10.2025 को रूबरू उभयपक्ष अधिवक्ता खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:10:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner